-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 25.11.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना एंटी ह्युमन ट्रैफिकिंग यूनिट द्वारा महिला को खरीद व जबरन विवाह करने वाले हरियाणा के मुख्य आरोपी को किया गया गिरफ्तार।**
- **पैसों की लालच में महिला को उसके परिजनों द्वारा 01 लाख 38 हजार मे बेचकर अभियुक्त से कराया गया था दूसरा विवाह।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में बाल भिक्षावृत्ति/बालश्रम की रोकथाम, किशोर न्याय संरक्षण, बाल विवाह, एवं मानव तस्करी की रोकथाम आदि हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में आज दिनांक 25.04.2025 को थाना एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट द्वारा महिला को 01 लाख 38 हजार रूपए मे खरीद व जबरन विवाह करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। गौरलतब हो कि जनपद चित्रकूट की रहने वाली एक पीड़िता द्वारा दिनांक 22.11.2025 को थाना AHTU जनपद बांदा पर दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया कि दिनांक 20.11.2025 को उसकी माता मुन्नी एवं भाई जयनारायण ने उसे जनपद बांदा लाकर जबरन हरियाणा के कृष्ण कुमार पुत्र शिवराम नामक एक अनजान व्यक्ति को ₹1,38,000/- में बेच दिया तथा उसकी जबरन शादी करा दी, जबकि पीड़िता पूर्व से ही शादीशुदा है। पीड़िता द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों एवं प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए थाना एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट बांदा द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचना के दौरान एकत्र पीड़िता के विस्तृत बयान, भौतिक एवं तकनीकी साक्ष्यों, तथा अन्य तथ्यों के आधार पर पुलिस टीम लगातार आरोपितों की तलाश में सक्रिय थी। इसी क्रम में आज मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने मुख्य आरोपी कृष्ण कुमार को रेलवे स्टेशन ओवरब्रिज के आगे से गिरफ्तार कर लिया गया। शेष सह-अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा घटना से जुड़े मानव तस्करी के पूरे नेटवर्क की कड़ियों की गहनता से जांच की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. कृष्ण कुमार पुत्र शिवराम निवासी ग्राम वासवार थाना हसनपुर तहसील होडल जनपद पलवल (हरियाणा)।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 04/25 धारा 143(2)/336(3) बीएनएस थाना एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 अनिल कुमार उपाध्याय थाना AHTU जनपद बांदा
2. कां0 प्रशान्त कुमार
3. म0कां० स्वेतलाना मौर्य